

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागीदौरा जिला-बांसवाड़ा (राज.)
सरकार बनाम अर्पित

आपराधिक विविध प्रकरण संख्या 502/2025 सी.आई.एस. संख्या 502/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स नजा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2025	अभियोजन अधिकारी उपस्थित। आपराधिक मूल प्रकरण संख्या 360/2023 बउनवान राजस्थान राज्य बनाम अर्पित वगै. में गैरसायल अर्पित को दिनांक 16.09.2025 को मफरुर घोषित किये जाने से उसके विरुद्ध 84-85 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही खोली जाने के आदेश हुये है जिस पर उक्त गैरसायल के विरुद्ध आज कार्यवाही खोली गई, जो विविध आपराधिक प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। मूल प्रकरण में गैरसायल अर्पित को स्थाई गिरफ्तारी वारंट की पालना में पुलिस थाना सल्लोपाट द्वारा आज दिनांक को गिरफ्तार कर पेश किया गया है। चूंकि गैरसायल मूल प्रकरण में गिरफ्तार हो चुका है। अतः उक्त पत्रावली को चलाये जाने का औचित्य ना होने से गैरसायल अर्पित के विरुद्ध धारा 84-85 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद दाखला शामिल मूल पत्रावली रहे।	

